



क्र./आई.डी.एस.पी./2021/1550
प्रति,

भोपाल, दिनांक-01.10.2021

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।

विषय:- अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देश के संबंध में ।

संदर्भ:- भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पत्र क्र. DO.No. Z.28015/359/2021-EMR
DM Cell Dated 01th October 2021

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आगमन हेतु, दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस विषय में पूर्व में 17 फरवरी, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देश जारी किये गये थे (उपलब्ध: <https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforinternationalarrivals17022021.pdf>)

अंतर्राष्ट्रीय आगमन करने वाले यात्रियों में यूनाइटेड किंगडम से आने वाले लोग भी शामिल हैं। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 के प्रकरणों में वृद्धि देखी गई है तथा वहां 4 प्रकार के Variants of Concerns पाए गए हैं।

अतः यूनाइटेड किंगडम से आने वाले यात्रियों के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-

- **प्री बोर्डिंग :-** सभी यात्रियों को द्वारा बोर्डिंग के पहले :-
 - (1) ऑनलाइन "एयर सुविधा" पोर्टल पर निर्धारित यात्रा से पहले स्व-घोषणा पत्र जमा किया जाना चाहिए। (www.newdelhiaairport.in)
 - (2) समस्त यात्रियों द्वारा यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के भीतर COVID-19 RT-PCR के परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड किया जाना चाहिये। प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी, घोषणा गलत पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
- **आगमन पर :-**
 - (1) यूनाइटेड किंगडम से आने वाले समस्त यात्रियों का आगमन के बाद एयरपोर्ट पर तथा 8 दिन बाद उनके स्वयं के खर्च पर कोविड-19 की RT-PCR जांच हेतु सेम्पल लिया जायेगा। सभी यात्री आगमन के 10 दिन बाद अपने घर पर या गंतव्य पते पर अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रहेंगे।
- आईसोलेशन/क्वारंटाइन में रखे गये यात्रियों की जिले द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी।
- सभी जिलों को जिलेवार ऐसे यात्रियों की सूची आई.डी.एस.पी. के ई-मेल idspssu@mp.gov.in से उपलब्ध कराई जायेगी।

निरंतर.....

(2)

सभी जिलो द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, उपरोक्त दिशा-निर्देश 4 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे।

आयुक्त सह सचिव द्वारा अनुमोदित

(डॉ. वीणा सिन्हा)

अपर संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.
भोपाल, दिनांक -01/10/2021

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2021/1551

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल, म.प्र.।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. समस्त जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट, म.प्र.।

अपर संचालक, आई.डी.एस.पी.
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.



LAV AGARWAL, IAS
Joint Secretary

Tel. : 011-23061195
T/Fax : 011-23061842
E-mail : alav@ias.nic.in



भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
NIRMAN BHAVAN, NEW DELHI - 110011

DO No. Z.28015/359/2020-EMR-DM Cell

Dated the 1st October 2021

Dear Sir,

Kindly refer to the Ministry of Health & Family Welfare's guidelines on international arrivals dated 17th February 2021 (available at:

<https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforInternationalarrivals17022021.pdf>) for all international arrivals including those coming from United Kingdom.

Considering the trajectory of COVID-19 cases in United Kingdom and presence of all four Variants of Concern, the travel advisory as issued by this ministry is being modified. The guidelines for travelers from United Kingdom shall now be as follows:

- **Pre-Boarding:** All travelers should (i) submit self-declaration form on the online "Air Suvidha" portal (www.newdelhialrport.in) before the scheduled travel (ii) upload a negative COVID-19 RT-PCR report. This test should have been conducted within 72 hrs prior to undertaking the journey. Each passenger shall also submit a declaration with respect to authenticity of the report and will be liable for criminal prosecution, if found otherwise.
- **On Arrival:** Travelers irrespective of their vaccination status, arriving in India will undertake COVID-19 RT-PCR test on arrival at airport and on day 8 after arrival at their own cost and will undergo mandatory quarantine at home or at the destination address for 10 days after arrival in India.
- All such passengers under isolation/quarantine shall be regularly monitored by State/District Health Authorities.
- The State-wise passenger manifest of the flights originating from United Kingdom shall be conveyed by the Bureau of Immigration to State Government/Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP) [idsnp-npo@nic.in and designated e-mails provided by the respective State Governments] for such follow up.

These guidelines shall come in force from 4 October 2021 at 00.00 Hrs. IST.

Ministry of Civil Aviation is requested to institute necessary mechanisms at all international airports/airlines, addressing travellers from United Kingdom. Further, Ministry of External Affairs through High Commission of India, London is requested to provide advance intimation to the UK side that the above-mentioned measures are being put in place.

with regards,

Yours sincerely

Sd/-

(Lav Agarwal)

Shri Rajiv Bansal

Secretary, Ministry of Civil Aviation,
Rajiv Gandhi Bhawan, Block B, Safdarjung Airport Area,
New Delhi

Copy to: Cabinet Secretary, for Information

Copy to:

1. Secretary, Ministry of Home Affairs
2. Secretary, Ministry of External Affairs
3. Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries (Health) of all States/UTs
(for required follow up action)


(Lav Agarwal)